निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1005) पटना, वृहस्पतिवार, 3 सितम्बर 2015

सं0 13/यो 0–12/12—**1529**

शिक्षा विभाग

संकल्प

26 अगस्त 2015

विषयः–राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों एवं 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्तमान मानदेय 5000/– (पांच हजार) रु0 प्रतिमाह से वृद्धि कर 8,000/– (आठ हजार) रु0 प्रतिमाह करने, इनकी सेवाएँ 60 (साठ) वर्ष की आयु सीमा तक लेने एवं सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रु0 की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में महादलित समुदाय, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु अक्षर आँचल योजना चलाई जा रही है। इस योजना में कार्यरत टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के स्वयंसेवियों के प्रयास से साक्षरता एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई हैं। बिहार महिला साक्षरता के दशकीय वृद्धि में भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। महादलित, अल्पसंख्यक के बीच शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ी है। इस पृष्ठभूमि में आवश्यक प्रतीत हुआ कि टोला सेवकों एवं तालीमी मरकज के स्वयंसेवियों का मानदेय बढ़ाया जाय, उन्हें 60 वर्षों तक सेवा करने का अवसर दिया जाय एवं कार्य के दौरान सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000/– (चार लाख) रूपये की अनुग्रह अनुदान राशि दी जाय।

(क.) महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के माध्यम से सभी 20000 महादलित टोलों, अतिपिछड़े वर्गों एवं लगभग 10000 तालीमी मरकजों में इन समुदायों की 15–35 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को बुनियादी साक्षरता प्रदान की जा रही है तथा प्रति वर्ष 6–14 आयु वर्ग के इन समुदायों के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जा रहा है।

(ख.) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व में चालित उत्थान केन्द्रों एवं तालीमी मरकजों को एक नये स्वरूप में संचालित किया जा रहा है जिसमें महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़े वर्ग की असाक्षर महिलाएँ भी विद्यालयों में संचालित साक्षरता केन्द्रों पर साक्षर हो रही हैं।

(ग.) इस योजनान्तर्गत कार्यरत सभी टोला सेवक एवं तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी पूर्व से निर्धारित कार्य यथा – टोला/पंचायत/प्रखण्ड के अपने ही समुदाय की 15 से 35 आयुवर्ग की महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं

इसी समुदाय के 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों का स्थानीय विद्यालय में नामांकन, ठहराव एवं विशेष शिक्षण कार्य के अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लाभुक आधारित योजनाओं का प्रचार–प्रसार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जागरूकता एवं समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशित कार्यो एवं दायित्व का निवर्हन करेंगे।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रतिवर्ष बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ा जायेगा। वर्तमान में स्वीकृत 20 हजार टोला सेवक केन्द्र एवं 10 हजार तालीमी मरकज शिक्षा स्वयंसेवी केन्द्र के विरूद्ध 19414 टोला सेवक केन्द्र एवं 8538 तालीमी मरकज केन्द्र संचालित है। प्रत्येक संचालित केन्द्रों पर एक–एक टोला सेवक या शिक्षा स्वयंसेवी कार्यरत है। ये टोला सेवक एवं शिक्षा स्वयंसेवी महादलित, अल्पसंख्यक एवं अतिपिछड़ा वर्ग समुदाय के ही होते हैं।

3. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों एवं 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्तमान मानदेय 5000/– (पांच हजार) रु0 प्रतिमाह से वृद्धि कर 8,000/– (आठ हजार) रु0 प्रतिमाह करने, इनकी सेवाएँ 60 (साठ) वर्ष की आयु सीमा तक लेने एवं सेवाकाल में मृत्यु होने पर एकमुश्त 4,00,000 (चार लाख) रु0 की अनुग्रह अनुदान राशि देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1005-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in